निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1942 (श0)

(सं0 पटना 277) पटना, बुधवार, 6 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

6 मई 2020

एस० ओ०.120 दिनांक 6 मई 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 124, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 49, दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीनों और 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए, ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो उक्त मास/तिमाही के लिए देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 30 जून, 2020 या उससे पहले उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए है।

[(सं०सं० बिक्री 2017/21-विविध/जीएसटी/कर-(खंड-8) 794)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

6 मई 2020

एस० ओ० 120 दिनांक 6 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017(खंड–8)794)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 6th May 2020

S.O. 120 Dated 6th May 2020-- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 124 dated the 23rd January, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 49 dated the 23rd January, 2018, namely:–

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the months of March, 2020, April, 2020 and May, 2020, and for the quarter ending 31st March, 2020, for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the said periods in **FORM GSTR-1** by the due date**,** but furnishes the said details in **FORM GSTR-1**, on or before the 30th day of June, 2020.".

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-8)794)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 277-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in